

व्यवसाय अध्ययन

कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक



11109

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

11109 - व्यवसाय अध्ययन
कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 81-7450-583-0

प्रथम संस्करण

अप्रैल 2006 वैशाख 1928

पुनर्मुद्रण

जनवरी 2007, फरवरी 2009,

जनवरी 2010, जून 2011,

मार्च 2019, अक्तूबर 2019,

मई 2021

संशोधित संस्करण

सितंबर 2022, भाद्रपद 1944

पुनर्मुद्रण

मार्च 2024 चैत्र 1946

PD 5T SU

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, 2006, 2022

₹ 175.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 70 जी.एस.एम. पेपर
पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद
मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग
में प्रकाशित तथा शिवा प्रिंटेक ई-48, सेक्टर
A-5 एंव 6, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश 201102 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्ण अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्ण अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे

बनाशंकरी III इस्टेज

बैंगलुरु 560 085

फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैपस

निकट धनकल बस स्टॉप पिनहटी

कोलकाता 700 114

फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781 021

फ़ोन : 0361-2676869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा

मुख्य व्यापार प्रबंधक (प्रभारी) : अमिताभ कुमार

संपादक : मरियम बारा

सहायक उत्पादन अधिकारी : ओम प्रकाश

आवरण

करण चड्ढा

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिये। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाये हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किये जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जन और पहल को विकसित करने के लिये ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है, जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिये नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिये पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिये उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

परिषद्, इस पुस्तक की रचना के लिये बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समूह के अध्यक्ष हरि वासुदेवन, आचार्य और व्यवसाय अध्ययन पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार संजय के. जैन, आचार्य की विशेष आभारी

है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिये परिषद् उनके प्राचार्यों की आभारी है। परिषद्, उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ है, जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में परिषद् को उदारतापूर्वक सहयोग दिया। परिषद्, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मृणाल मीरी, आचार्य एवं जी.पी. देशपांडे, आचार्य की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनीटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देती है। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित परिषद्, टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है।

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है—

- एक ही कक्षा में अलग-अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना;
- एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना;
- कठिनाई स्तर;
- विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों;
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना।

वर्तमान संस्करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है।

© NCERT
not to be republished

अध्यापकों के लिए

इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से आप व्यावसायिक वातावरण की समझ विकसित करेंगे जिसमें एक व्यवसाय संचालित होता है। यह पाठ्यपुस्तक उद्यमिता विकास, व्यवसाय में नैतिकता और निगमित सामाजिक दायित्व, लघु उद्योग, बौद्धिक संपदा अधिकार, माल और सेवा कर और आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्यों के संचालन से संबंधित समकालीन मुद्दों की चर्चा करती है। कॉरपोरेट जगत की सामग्री के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र में उद्यमिता और नवाचार पर भी जोर दिया गया है। इससे शिक्षार्थियों को अपने आस-पास के वातावरण और व्यावसायिक वातावरण का पालन करने में मदद मिलेगी। आपको अतिरिक्त पठन सामग्री संवादात्मक गतिविधियाँ, नवाचार और उद्यमशीलता की कहानियाँ आदि मिलेंगी, जो स्वयं सीखने के लिए समृद्ध सामग्री हैं। आपको विभिन्न अंतराल पर एम्बेडेड क्यू.आर. कोड (जिन्हें ई-पाठशाला ऐप के माध्यम से आप पढ़ सकेंगे) के तहत नए ई-संसाधन मिलेंगे।

पाठ्यपुस्तक को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रकाश में अद्यतन किया गया है और संबंधित अध्यायों में अधिनियम 2013 के नए प्रावधानों के अनुसार सामग्री को संशोधित किया गया है।

भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, आचार्य, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता।

मुख्य सलाहकार

संजय के. जैन, आचार्य, दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकॉनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली।

समिति

आनंद सक्सेना, प्रवाचक, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

देवेन्द्र कुमार वैद्य, आचार्य, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.,

नई दिल्ली।

गरिमा गुप्ता, प्रवक्ता, पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

जी.एल. तायल, प्रवाचक, रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

के.वी. अचलापती, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

एम.एम. गोयल, प्रवाचक, पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

एम. उषा, सहायक आचार्य, यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

पी.के. परीदा, आचार्य, वाणिज्य विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा।

पूजा दासानी, पी.जी.टी., कॉनवेंट ऑफ़ जीसस एण्ड मैरी स्कूल, गोल डाकखाना, नयी दिल्ली।

शैलेंद्र निगम, एन.आई.आई.एल.एम. केंद्र प्रबंधन अध्ययन, शेरशाह सूरी मार्ग, नयी दिल्ली।

अनुवादक मंडल

एस.के. बंसल, पी.जी.टी. वाणिज्य (सेवानिवृत्त), कमर्शियल सी. से. स्कूल, दरियागंज, दिल्ली।

एल.आर. पाठक, शिक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।

मनवीर राणा, पी.जी.टी., वाणिज्य, गंगा इंटरनेशनल स्कूल, हिरण कूदना, रोहतक रोड, दिल्ली।

सीमा श्रीवास्तव, प्रवक्ता, डी.आई.ई.टी., मोती बाग, नयी दिल्ली।

एम.एम. वर्मा, प्रवाचक (सेवानिवृत्त), स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

सदस्य समन्वयक

मीनू नंद्राजोग, प्रवाचक, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.,
नयी दिल्ली।

आभार

परिषद् इस पुस्तक के विकास में इनकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों के लिए आभार व्यक्त करती है—
डी.पी. शर्मा, पूर्व उप कुलपति एवं आचार्य, बरकातुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल; एस.के. बंसल, पी.जी.टी. वाणिज्य (सेवानिवृत्त), कमर्शियल सी.से. स्कूल, दरियागंज, दिल्ली; विजय कुमार यादव, पी.जी.टी. वाणिज्य, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर लाल नेहरू कैम्पस, नयी दिल्ली; के. वासुदेवा मूर्ति, प्रवक्ता वाणिज्य, महाजना प्री-यूनीवर्सिटी कॉलेज, जयालक्ष्मीपुरम, मैसूरु; द्वारिकानाथ मिश्रा, पी.जी.टी. वाणिज्य, डी.ए.वी. स्कूल, यूनिट 8, भुवनेश्वर, ओडिशा।

पुस्तक के विकास में सहयोग के लिए हम सविता सिन्हा, विभागाध्यक्ष एवं आचार्य, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हर संभव मार्गदर्शन एवं समर्थन दिया। हम उन सभी वाणिज्य शिक्षकों के भी आभारी हैं, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक की क्यू.आर. कोड की अतिरिक्त पाठ्य सामग्री तैयार करने में अपना योगदान दिया है।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा हमें पूर्ण सहयोग एवं सुविधाएँ प्राप्त हुईं जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।

विषय-सामग्री

आमुख

iii

पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन

v

भाग 1	:	व्यवसाय के आधार	1-155
अध्याय 1	:	व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य	2-28
अध्याय 2	:	व्यावसायिक संगठन के स्वरूप	29-62
अध्याय 3	:	निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम	63-81
अध्याय 4	:	व्यावसायिक सेवाएँ	82-114
अध्याय 5	:	व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ	115-135
अध्याय 6	:	व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता	136-155
भाग 2	:	व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार	156-283
अध्याय 7	:	कंपनी निर्माण	157-176
अध्याय 8	:	व्यावसायिक वित्त के स्रोत	177-200
अध्याय 9	:	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम और व्यावसायिक उद्यमिता	201-219
अध्याय 10	:	आंतरिक व्यापार	220-250
अध्याय 11	:	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	251-282
फॉर्म नं. आई.एन.सी.-1			283-286

भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)

(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन)

द्वारा प्रदत्त

मूल अधिकार

समता का अधिकार

विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण;
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर;
लोक नियोजन के विषय में;
अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

स्वातंत्र्य-अधिकार

अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य;
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण;
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;
छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा;
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध;
परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता;
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता;
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता;
राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में
उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण;
अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त
अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।